

10न0 - 447 / 2025

नवान : -

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

1 ओमसिंह पुत्र विजय सिंह जाति राजपूत निवासी लीलावाली त0 संगरिया जिला हनुमानगढ़ ।

- बनाम वादी
- 1 इकबाल मोहम्मद पुत्र सैयद मोहम्मद जाति राठ निवासी फतेहपुर त0 संगरिया जिला हनुमानगढ़ ।
 - 2 तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।
 - 3 तहसीलदार राजस्व संगरिया ।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष अधिवक्ता वादी एमके गौड़ व सुनील शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी की उपस्थिति में प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक 16 एफटीपी के जमाबन्दी सं0 2073 ता 76 के खाता सं0 330 / 275 में कुल 0.6070 है0, चक नं0 28 एनजीसी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 88 / 61, चक 19 एफटीपी जमाबन्दी संवत 2073 ता 76 के खाता सं0 106 / 66 में वादी तथा प्रतिवादी सं0 1 को निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है -

क. वादी ओमसिंह को प्राप्त आराजी:- प्रतिवादी सं0 1 इकबाल मोहम्मद के नाम से तहसील संगरिया के चक 16 एफटीपी के जमाबन्दी सं0 2073 ता 76 के खाता सं0 330 / 275 में कुल 0.6070 है0 बारानी प्रथम मय गै0मु0 रास्ता तथा तहसील टिब्बी के चक नं0 28 एनजीसी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 88 / 61 में प्रतिवादी सं0 1 इकबाल मोहम्मद के नाम से कुल 1.0760 है0 अनकमाण्ड आराजी

ख. प्रतिवादी सं0 1 को प्राप्त आराजी:- वादी ओमसिंह के नाम से तहसील संगरिया के चक 19 एफटीपी जमाबन्दी संवत 2073 ता 76 के खाता सं0 106 / 66 में कुल 1.6870 है0 आराजी नहरी मय गै0मु0 । इसी अनुसार चक 28 एनजीसी के खाता सं0 88 / 61 व चक 16 एफटीपी के खाता सं0 330 / 275 में से प्रतिवादी ईकबालमोहम्मद का नाम कलमजन व चक 19 एफटीपी के खाता सं0 106 / 66 में से वादी ओमसिंह का नाम कलमजन किया जावे। यदि कृषि भूमि पर बैंक रहन व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकोर्ड में अंकन कर रिकोर्ड दुरुस्त किया जावें। खर्चा उभयपक्ष अपना-अपना वहन करें।

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक 11/2/25.....मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी
R.A.S.
टिब्बी जिला हनुमानगढ़